न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 157/2022

GCMS NO. : 2022/281

–: वादी :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. लालाराम उर्फ लालुराम पुत्र धन्नाराम जाति– सीरवी, निवासी बेरा समदड़ा, ग्राम खेड़ा देवगढ़ तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर, राजस्थान।		1. तहसीलदार जैतारण जिला– ब्यावर राज.

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1955.

तारीख रजू:. 23/08/2022

उपस्थितः– 1. श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता वादी।
2. सरकारी राज पैरोकार, तहसीलदार जैतारण।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 29/08/2024

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण मे खसरा नम्बर 952/4 रकबा 05–05 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई थी। जो नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 से प्रमाणित है, जिसकी नकल वादपत्र के साथ पेश है। उक्त भूमि मे से 04 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 हेतू सन् 2014 में अवाप्त कर ली गई थी जो सभी खातेदारान् की बराबर बराबर हिस्से की भूमि अवाप्त की गई थी। उक्त भूमि मे से 04 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 मे अवाप्त होने के बाद सहवन से उसका म्युटेशन पारित नही किया गया। इस कारण से उक्त भूमि के तत्कालीन खातेदार द्वाराप्रसाद, राधाकिशन, श्रीकिशन, दामोदर लाल पिसरान् भीकूलाल ब्राहमण निवासी जैतारण ने आपस मे अवाप्त की गई भूमि को सम्मलित करते हुए उक्त खसरा नम्बर 952/4 के सम्पूर्ण रकबा 05–05 बीघा का विभाजन करते हुए जरिये नामान्तरण सख्या 4072 दिनांक 30/09/2016 के द्वारकाप्रसाद के हक हिस्से में खसरा तम्बर 952/6 रकबा 1–06 बीघा एवं राधाकिशन के हक हिस्से में खसरा नम्बर 952/7 रकबा 1–06 बीघा तथा श्रीकिशन के हक हिस्से मे खसरा नम्बर 952/8 रकबा 1–07 बीघा भूमि व दामोदरलाल के हक हिस्से में खसरा नम्बर 952/4 रकबा 1–06 बीघा भूमि रखी गई एवं इसी अनुसार तत्कालीन खातेदारान के नाम जमाबन्दी में दर्ज किये जाकर खातेदारान् की चौसाला जमाबन्दीया अलग अलग की गई तथा अवाप्त की भूमि को मुआवजा राशि भी सन् 2017 मे तत्कालीन खातेदारान ने प्राप्त कर ली। उक्त म्युटेशन एवं विभाजन की जमाबन्दीयां वादपत्र के साथ पेश है। उक्त राजमार्ग मे भूमि अवाप्त होने के पश्चात राजस्व रेकर्ड मे म्युटेशन पारित नही होने की वजह से खसरा नम्बर 952/8 रकबा 1–07 बीघा के तत्कालीन खातेदार श्रीकिशन पुत्र भीकूलाल ब्राहमण ने वादी के पक्ष मे 1–06 बीघा भूमि का रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनाक 27/09/2017 को निष्पादित कर उपपंजीयन कार्यालय जैतारण से पंजीबद्ध करवाया गया। उस समय भी तत्कालीन खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:42:24 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

श्रीकिशन ने एक तस्दीक सुदा शपथपत्र वादी को दिया कि 01 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त हो चुकी है तथा शेष सम्पूर्ण 01-06 बीघा का बेचान वादी को कर दिया है। अब उक्त खसरा नम्बर में मेरा कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। जिसके आधार पर 1-06 बीघा भूमि का म्यूटेशन सख्यां 4182 दिनाक 16/10/2017 को वादी के नाम पारित किया गया तथा उसके बाद अवाप्त की गई 01 बिस्वा भूमि का म्युटेशन सख्यां 4264 दिनांक 09/01/2018 को पारित किया गया उस समय तत्कालीन रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा पारित कर तत्कालीन खातेदार श्रीकिशन का नाम सहवन एव लिपिकीय त्रुटिवश बदस्तुर रख दिया गया इसलिए आगामी जमाबन्दी बनाते समय रेवेन्यु एजेन्सी ने 01-06 बीघा भूमि मे वादी का 26/27वां हिस्सा एव तत्कालीन खातेदार श्रीकिशन का 1/27 वा हिस्सा दर्ज कर दिया गया जबकि तत्कालीन खातेदार श्रीकिशन का वादी को दिये गये शपथपत्र के अनुसार किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार उक्त खसरा नम्बर की भूमि में नहीं रहा उसके बावजुद भी उक्त खसरा नम्बर के 1-06 बीघा भूमि मे तत्कालीन खातेदार का नाम सहवन से इन्द्राज कर दिया गया जो एक रोंगएन्ट्री है। जिसे दुरूस्त किया जाकर तत्कालीन खातेदार श्रीकिशन का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाया जाकर वादी को सम्पूर्ण रकबा 1-06 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायतन आवश्यक होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती हेतू वादी की और से प्रतिवादी के विरूद्ध श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादी को अपनी उक्त खरीद सुदा भूमि पर ऋण लेने की आवश्यकता होने से दिनांक 10/08/2022 को पटवारी हल्का से सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करने पर वादी को अपने हक हिस्से की खरीद सुदा भूमि मे तत्कालीन खातेदार श्रीकिशन का नाम इन्द्राज होने की सर्वप्रथम जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादी को उक्त खसरा नम्बर की भूगि मे से श्रीकिशन का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कर सम्पूर्ण 1-06 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतू आवेदन पत्र पेश किया परन्तु प्रतिवादी ने श्रीकिशन का नाम हटा कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कर वादी को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने से इन्कार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय से आदेश लाने पर ही सम्पूर्ण भूमि मे वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने का कथन किया। इसलिए वादी के पास न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। वादी की खरीद सुदा भूमि मे तत्कालीन खातेदार श्रीकिशन का नाम इन्द्राज रहता है तो वादी को अपने जायज हक हकूकों एवं अधिकारों से महरूम हो जायेगा एवं वादी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी एवं पेचीदगियां बढेगी। जबकि सम्पूर्ण 01-06 बीघा भूमि पर खरीद से लेकर आज दिन तक वादी ही मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। इसलिए राजस्व रेकर्ड मे दर्ज श्रीकिशन का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कर सम्पूर्ण 1-06 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किये जाने बाबत् यह वादपत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरूद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वादी का वादपत्र करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत कर। की अनुमति बाबत् धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपर के साथ पेश है तथा खसरा नम्बर 952/8 के तत्कालीन खातेदार काश्तकार श्रीकिशन का उक्त खसरा नम्बर की भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 16:42:24 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

वादी को दिये गये शपथपत्र अनुसार शेष नहीं रहने से उसे प्रतिवादी पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। बिनाय वाद दिनाक 10/08/2022 को वादी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की नकलें पटवारी हल्का से प्राप्त करने पर उक्त भूमि तत्कालीन खातेदार श्रीकिशन का नाम इन्द्राज होने की सर्वप्रथम जानकारी होने पर वादी द्वारा प्रतिवादी को राजस्व रेकर्ड में से श्रीकिशन का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कर सम्पूर्ण 01-06 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित करने हेतू आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी द्वारा श्रीकिशन का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाने से स्पष्ट इन्कार करने एवं सक्षम न्यायालय के आदेश से ही श्रीकिशन का नाम हटाये जाने का कथन करने से बमुकाम जैतारण तहसील जैतारण मे पैदा हुआ जो श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार मे होनें से यह वादपत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मनस वास्ते जवाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी/तहसीलदार जैतारण ने हस्तगत प्रकारण में जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2069-2072 ग्राम जैतारण के खसरा नम्बर 952/4 रकबा 05-05 बीघा भूमि थी। यह सही है कि एन.एच. 112 हेतु खसरा नम्बर 952/4 में से 0.0285 हैक्टेयर भूमि सड़क निर्माण हेतु अवाप्त हुई थी। उक्त भूमि अवाप्ति का नामान्तरण दर्ज होने से पूर्व खसरा नम्बर 952/4 का विभाजन नामान्तरण संख्या 4072 दिनांक 30.09.2016 से खाता का विभाजन होकर 4 नये खसरा नम्बर बन गये। विभाजन उपरान्त खसरा नम्बर 952/8 रकबा 01-07 बीघा भूमि में से 26/27 वां हिस्सा वादी ने रजिस्टर्ड पंजीकृत करवा लिया जिसका नामान्तरण 4182 दिनांक 16.10.2017 से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो गया। अन्य तथ्य स्वीकार नहीं है। इसके उपरांत नामान्तरण संख्या 4204 दिनांक 09.01.2018 से खसरा नम्बर 952/7 में से 0-01 बिस्वा (0.007) भूमि NHAI 112 के नाम दर्ज हो गई। अतिरिक्त कथन वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 952/8 में से 0.007 हैक्टेयर भूमि 952/16 खसरा नम्बर बनकर NH 112 के नाम दर्ज हो गया एवं 952/8 में 26/27 हिस्सा वादीगण एवं 1/27 हि. पूर्व खातेदार के नाम दर्ज है।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा संगत विधिक प्रावधानो एवं बहस में प्रकट तथ्यों एवं कथनों पर मनन किया तथा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्यक निस्तारण हेतू समुचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली का विवाद्यकवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. आया कि मौजा जैतारण के खसरा संख्या 952/8 रकबा 01-06 बीघा के रजिस्टर्ड बैचान के समय तत्कालीन खातेदार श्रीकिशन द्वारा वादी को दिए गए शपथ व 0-01 बीघा भूमि अवाप्त होने से श्रीकिशन का किसी प्रकार का हिस्सा शेष नहीं रहने से उसका नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीया को घोषित किया जावे एवं रेकर्ड दुरूस्त किया जावें ?

जिम्मे वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:42:24 IST
Reason: SelfAttested

यह विवाद्यक साबित करने की जिम्मेदारी वादी की है। वादी द्वारा वादपत्र में यह निवेदन किया गया है कि वादपत्र में वर्णित खसरा नम्बर 952/8 रकबा 01-06 बीघा के रजिस्टर्ड बैचान के समय तत्कालीन खातेदार श्रीकिशन द्वारा वादी को दिये गये शपथपत्र के अनुसार उक्त भूमि में श्रीकिशन का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

अधिकार नहीं होने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज श्रीकिशन पुत्र भीकूलाल जाति ब्राह्मण निवासी जैतारण का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त कर वादी को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार घोषित किया जाए।

वादी की ओर से वादपत्र में बतौर साक्ष्यवादी मुख्य परीक्षण में साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 प्रस्तुत किया। वादी द्वारा प्रस्तुत अपने साक्ष्य शपथ पत्र पर वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों एवं कथनों का समर्थन किया।

वादी द्वारा उक्त विवाद्यक के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श-1 ग्राम जैतारण के खसरा नम्बर 952/8 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम जमाबन्दी सम्वत् 2077-2080 जिसमें वादी लालाराम उर्फ लालुराम पुत्र धनाराम हिस्सा 26/27वां तथा श्रीकिशन पुत्र भीकूलाल हिस्सा 1/27वां का अंकन है। प्रदर्श-2 खसरा नम्बर 952/8 की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076, प्रदर्श-5 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, जैतारण द्वारा 3डी की अधिसूचना में प्रकाशित विवरण एवं मुआवजा निर्धारण हेतु 3(जी) के विवरण की प्रति, प्रदर्श-6 एन.एच. 112 (भूमि अवाप्ति) खसरा नम्बर 952/4 का अवार्ड प्रति, प्रदर्श-7 एन.एच. 112 (भूमि अवाप्ति) खसरा नम्बर 952/4 भुगतान प्रति, प्रदर्श-3ए खसरा नम्बर 952/8 के खातेदार श्रीकिशन द्वारा लालाराम उर्फ लालुराम पुत्र धन्नाराम के पक्ष में किया गया रजिस्टर्ड विक्रय विलेख, प्रदर्श-4ए सरहद मौजा जैतारण के खसरा नम्बर 952/8 रकबा 01-06 बीघा के रजिस्टर्ड बैचान के समय तत्कालीन खातेदार श्रीकिशन द्वारा वादी लालाराम उर्फ लालुराम पुत्र धन्नाराम के पक्ष में निष्पादित शपथ पत्र जिसमें तत्कालीन खातेदार श्रीकिशन पुत्र भीकूराम द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि ***"सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 952/8 रकबा 01-07 बीघा आई हुई है जिसमें से 1-06 बीघा भूमि लालाराम उर्फ लालुराम पुत्र धन्नाराम कौम सीरवी निवासी खेड़ादेवगढ़ को बैचान कर दी गई है तथा शेष मुझ शपथ कर्ता के नाम की 01 बिस्वा भूमि है वो नेशनल हाईवे नम्बर 112 के अन्दर में आवाप्त हो गई है। जिसका मुआवजा राशि मुझ शपथकर्ता ने प्राप्त कर ली है"***

इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित एवं मौखिक साक्ष्य तथा वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित भू अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 952/8 के भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज श्रीकिशन पुत्र भीकूलाल हिस्सा 1/27 एक त्रुटिपुर्ण प्रविष्टि है तथा वादी खसरा नम्बर 952/8 रकबा 1-06 बीघा(0.2104 हैक्टेयर) के सम्पूर्ण हिस्से की पूर्ण खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार जवाब दावा में यह स्वीकार किया गया है कि ग्राम जैतारण के खसरा नम्बर 952/4 का कुल रकबा 05-05 बीघा भूमि थी। लेकिन एन.एच. 112 हेतु खसरा नम्बर 952/4 में से 0.0285 हैक्टेयर भूमि सड़क निर्माण हेतु सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, जैतारण द्वारा अवाप्त की गई थी लेकिन उक्त भूमि अवाप्ति का नामान्तरण दर्ज होने से पूर्व खसरा नम्बर 952/4 का विभाजन नामान्तरण संख्या 4072 दिनांक 30.0[illegible] से खाता का विभाजन होकर 4 नये खसरा नम्बर बन गये। विभाजन [illegible] 952/8 रकबा 01-07 बीघा भूमि में से 26/27 हिस्सा वादीगण [illegible] लिया जिसका नामान्तरण 4182 दिनांक 16.10.2017 से राजस्व रेकर्ड [illegible] इन्द्राज हो गया। इसके उपरांत नामान्तरण संख्या 4204 दिनांक 09.01.2018 से खसरा नम्बर 952/8 में से 0-01 बिस्वा(0.007) भूमि NHAI 112 के नाम दर्ज हो गई। तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा एवं तत्कालीन खातेदार श्रीकिशन पुत्र भीकूराम द्वारा निष्पादित शपथ पत्र से यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:42:24 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 952/8 के कुल रकबा 01-07 में से 01-06 बीघा हिस्सा वादी के नाम पंजीकृत बैचान करने के पश्चात् शेष हिस्सा जरिये नामान्तरण संख्या 4204 दिनांक 09.01.2018 से खसरा नम्बर 952/8 में से 0-01बीघा(0.007 हैक्टेयर) भूमि खसरा नम्बर 952/16 NHAI 112 के नाम दर्ज की गई। अतः सरहद मौजा जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 952/8 रकबा 01-06 बीघा वादी की खरीदसुदा एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी है जिसका वादी एक मात्र खातेदार काश्तकार है।

यह विवाद्यक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण साबित करनें में पूर्णतया सफल रहा है तथा प्रत्येक खातेदार का यह प्राथमिक अधिकार होता है कि उससे सम्बन्धित भू-अभिलेख की समस्त प्रविष्टियां त्रुटि रहित एवं शुद्ध हो। अतः हमारे विनम्र अभिमत में वादी को ग्राम जैतारण पटवार हल्का जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 952/8 रकबा 01-06 बीघा किस्म बारानी दोयम का एक मात्र काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा भू अभिलेख में दर्ज त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि ''श्रीकिशन पुत्र भीकूराम हिस्सा 1/27 जाति ब्राह्मण'' को विलोपित किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 952/8 रकबा 1-06 बीघा वादी की खरीदसुदा कब्जे काश्त आराजी है, जिसके सम्पूर्ण रकबे की वादी एकमात्र खातेदार एवं काश्तकार है, इसलिए वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में दर्ज अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण नाम व हिस्से की प्रविष्टि ***''श्रीकिशन पुत्र भीकूलाल हिस्सा 1/27 जाति ब्राह्मण''*** को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर वादी ***''लालाराम उर्फ लालुराम पुत्र धन्नाराम''*** को वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे का एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू-अभिलेख में इसी मुताबिक इन्द्राज करते हुये भू-अभिलेख को अद्यतन परिशुद्ध करें। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनॉक 29/08/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:42:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. लालाराम उर्फ लालुराम पुत्र धन्नाराम जाति– सीरवी, निवासी बेरा समदड़ा, ग्राम खेड़ा देवगढ़ तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर, राजस्थान।

1. तहसीलदार जैतारण जिला– ब्यावर राज.

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 मु0न0: रा0वा0स0: 157/2024

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–....... व हाजरी श्री किशोर कुमार कुमावत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व सरकार राज पैरोकार तहसीलदार जैतारण, मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादीगण अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा जैतारण की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 952/8 रकबा 1–06 बीघा वादी की खरीदसुदा कब्जे काश्त आराजी है, जिसके सम्पूर्ण रकबे की वादी एकमात्र खातेदार एवं काश्तकार है, इसलिए वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में दर्ज अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण नाम व हिस्से की प्रविष्टि ***"श्रीकिशन पुत्र भीकूलाल हिस्सा 1/27 जाति ब्राह्मण"*** को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर वादी ***"लालाराम उर्फ लालुराम पुत्र धन्नाराम"*** को वादग्रस्त आराजी के सम्पूर्ण रकबे का एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू–अभिलेख में इसी मुताबिक इन्द्राज करते हुये भू–अभिलेख को अद्यतन परिशुद्ध करें। अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–...... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/08/2024 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:42:24 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01-	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	-		महनताना वकील	/	
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	02-	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः-	06-	00	मिजानः-	-Nil-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:42:24 IST
Reason: SelfAttested